भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोटेक्नोलॉजी विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ब्लाक-2, 7वां तल, सी0 जी0 ओ0 कम्पलेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
Block-2, 7th Floor, C.G.O. Complex
Lodhi Road, New Delhi-110003

सं.ई-11014/1/2014-हिंदी **दिनांक: 21/11/2019**

परिपत्र

विगत कई वर्षों से यह देखा गया है कि अधिकांश स्वायत्तशासी संस्थान राजभाषा से संबंधित अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट विभाग को नहीं भिजवाते हैं। अभी तक केवल 6 संस्थानों की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट ही विभाग में पहुंचती है। इस बारे में पहले भी कई पत्र स्वायत्तशासी संस्थानों को भेजे जा चुके हैं किंतु इस विषय में किसी भी संस्थान की ओर से कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट को भरने के संबंध में कई संस्थानों को विधिवत रूप से जानकारी भी दी गई है लेकिन इसके बावजूद भी इस दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। आप सभी की जानकारी के लिए आपको पुन: यह स्मरण कराया जाता है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों/विभागों/कार्यालयों का यह दायित्व है कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करें। यह कोई स्वैच्छिक कार्य नहीं है बल्कि हम सबका संवैधानिक दायित्व है कि हम सरकारी कामकाज में राजभाषा प्रयोग संबंधी नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करें। यहां यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि संस्थानों से प्राप्त ये समस्त जानकारियां राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजनी होती हैं। जानकारियां उपलब्ध न होने के कारण बायोटेक्नोलॉजी विभाग इन जानकारियों को राजभाषा विभाग के पास भेजने में स्वयं को अक्षम पाता है। राजभाषा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। ये बातें संसदीय राजभाषा निरीक्षण समिति के सामने भी आती हैं जिसकी इस मामले में गंभीर प्रतिक्रिया होती है। अत: सभी स्वायत्तशासी संस्थानों को निदेश दिए जाते हैं कि वे अपने-अपने संस्थानों में राजभाषा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करें और संस्थान की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से बायोटेक्नोलॉजी विभाग के हिंदी अनुभाग को भिजवाएं।

नोट- तिमाही प्रपत्र और उसको भरने संबंधी जानकारी परिपत्र के साथ संलग्न है।

21.11.19

(चन्द्र प्रकाश गोयल)
संयुक्त सचिव (प्रशा.)

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

_____ को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम आर पूरा पता बायोटेक्नोलॉजी विभाग

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. 011-24362982 ई-मेल_____

1. **राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात***

(क) जारी कागजात की कुल संख्या

(ख) द्विभाषी रूप से जारी कागजात की संख्या

(ग) **केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात की संख्या** .....

* इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस. संसदीय प्रश्न, आदि शामिल हैं ।

2. **हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5)**

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या

(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए

(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए

(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे

3. **अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने (केवल'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)**

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
'क' क्षेत्र से				
'ख' क्षेत्र से				

4. **भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा |**

	हिंदी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र को				
'ख'क्षेत्र को				
'ग'क्षेत्र को				

5. (तिमाही के दौरान) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां।

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या

*पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए।

6. **हिंदी कार्यशालाएं**

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी
1		
-	-	-

नोट: कार्यालय में समस्त कार्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

7. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि -

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि -

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या

(ग) इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या -

(घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए? हां/नहीं -

8. **हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि** -
(केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए)

9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 250 कैरेक्टर)

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर :

अध्यक्ष का नाम:
पदनाम :
फोन नम्बर :
फैक्स नम्बर : ----------
ई-मेल का पता : ----------

नोट : कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

प्रोफार्मा और उसको भरे जाने संबंधी जानकारी संलग्न है :-

समाप्त तिमाही के स्थान पर महीने तथा वर्ष का उल्लेख करें।

अनुभाग/प्रभाग के नाम के स्थान पर संस्थान का नाम लिखें।

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी होने चाहिएं इसका अर्थ है कि इसमें शामिल होने वाले दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिएं। यह व्यवस्था 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों पर एक समान रूप से लागू होती है।

   धारा- 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज निम्नानुसार है।

   सामान्य आदेश, संकल्प, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों पर रखी जाने वाली रिपोर्ट, सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा पत्र आदि।

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम- 5)

   हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाना है और यह व्यवस्था 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों पर एक समान रूप से लागू होती है।

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर यथापेक्षित हिंदी में दिया जाना।

   यह केवल 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों पर लागू होता है।

4. भेजे गए कुल पत्रों का ब्यौरा

   मूल पत्राचार की स्थिति:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%

5. फाइलों पर टिप्पणियां लिखे जाने की प्रतिशतता:-

   'क' क्षेत्र में - 75 प्रतिशत, 'ख' क्षेत्र में - 50 प्रतिशत, 'ग' क्षेत्र में - 30 प्रतिशत